

क्रमांक: 196

दिनांक: 19-8-2011

निदेशक, जन स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

विषय : - माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) सं० -34 के सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित प्रावधित राशि रु. 3.40 करोड़ के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2011-12 में मा० मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47-48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में आर.एम.एस.सी द्वारा क्रय की जा रही औषधियों के जिला स्तर पर भण्डारण हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) की स्थापना RHSDP के अन्तर्गत की गई है या की जा रही है। उक्त 34 जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) को सुसज्जित यथा आवश्यकतानुसार दीवारों व छत की मरम्मत, वाटर प्रूफिंग, रंगाई-पुताई, सूचनापट्ट, विद्युत फिटिंग्स, एसी इन्सटालेशन, कम्प्यूटर फिटिंग, इन्वर्टर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, आदर्शकतानुसार फर्नीचर, फिक्चर्स व रेक्स का क्रय, कीट नियंत्रण, फाईबर सीट, एक्जास्ट पंखे आदि आवश्यक कार्य करवाने के लिये प्रत्येक DDWs के लिये राशि रु. @ 10 लाख के अनुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है। उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त आवंटन बजट शीर्षवार सैद्धान्तिक रूप से वित्त विभाग के समक्ष स्तर से अनुमोदित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त अतिरिक्त बजट प्रावधान मुख्य बजट शीर्ष 2210 एवं संबंधित विभिन्न उप बजट शीर्ष 01 से 03 से संबंधित है एवं इसके प्रस्ताव भी आपके द्वारा एकल पत्रावली पर वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं। अतिरिक्त बजट प्रावधानों का वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होते ही बजट आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जानी है।

उक्तानुसार जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) का सुदृढीकरण करवाना सुनिश्चित कराएँ क्योंकि अद्यतन DDWs का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अनुच्छेद 2 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि जिला औषधि भण्डार गृहों को 10 सितम्बर 2011 तक सुसज्जित कराया जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की क्रियान्वति सफलतापूर्वक की जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ